

प्रेषक,

एस.एस.टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-218/सू.एवंलो.स.वि.(लेखा)/पुनर्विनियोजन/2017-18 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2220- सूचना तथा प्रसार में संलग्न आई.डी. में इंगित विवरणानुसार ₹ 14,46,000/- (रूपये चौदह लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। धनराशि व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3- किसी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम) शासनादेशों तथा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय, यदि कोई धनराशि शेष रहती है, तो उसका समर्पण प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2018 से पूर्व कर दिया जाय।

5- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा. पत्र सं0-330 मतदेय/XXVII (5)/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,


(एस.एस.टोलिया)  
संयुक्त सचिव।



पृ0संख्या- 133 (1)/XXII/2018-2(1)2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार/वित्तीय डाटा सेन्टर, लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
- 8- गार्ड फाइल।

  
(एस.एस.टोलिया)  
संयुक्त सचिव।